



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 3416/अका./वि.प.स्थायी समिति/2024

रायपुर, दिनांक 27/05/2024

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 27.05.2024 को अपराह्न 3:30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	-	सदस्य
3. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	-	सदस्य
4. डॉ. राजीव चौधरी	-	सदस्य
5. डॉ. संजय जे. डहरवाल	-	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	-	सदस्य
7. डॉ. पद्मा बोहरे	-	सदस्य
8. डॉ. ए. के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
9. डॉ. संजय कुमार	-	सदस्य
10. डॉ. मीता झा	-	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थिति)
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	-	सचिव

कार्यवृत्त

विषय : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-32/2019/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22.05.2024 के अनुक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रदेश में क्रियान्वयन के क्रम में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के प्रस्तावित नवीन अध्यादेश-210 तथा स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अध्यादेश क्रमांक-170 में आवश्यक संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: (A) विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16/05/2024 के निर्णय कड़िका - (B) में अनुशंसित नवीन अध्यादेश-210 में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-32/2019/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22.05.2024 के अनुक्रम में तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रदेश में क्रियान्वयन के क्रम में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आधारित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम' के संशोधित प्रारूप के साथ नवीन अध्यादेश-210 "Four Years Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020)" की अनुशंसा की गई।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 3416 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2024

रायपुर, दिनांक 27 / 05 / 2024

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 27.05.2024 को अपराह्न 3:30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
4. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
5. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
7. डॉ. पद्मा बोहरे	—	सदस्य
8. डॉ. ए. के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
9. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
10. डॉ. मीता झा	—	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थिति)
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव


कार्यवृत्त


विषय : छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-32/2019/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22.05.2024 के अनुक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रदेश में क्रियान्वयन के क्रम में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के "एक समान अध्यादेश" के संशोधित प्रारूप तथा स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अध्यादेश क्रमांक-170 में आवश्यक संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: (A) विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16/05/2024 के निर्णय कंडिका – (B) में अनुशंसित नवीन अध्यादेश-210 में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-32/2019/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22.05.2024 के अनुक्रम में तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रदेश में क्रियान्वयन के क्रम में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आधारित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम' के संशोधित प्रारूप के साथ नवीन अध्यादेश-210 "Four Years Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020)" की अनुशंसा की गई।

(B) M.A. Sindhi एवं M.Sc. Renewable Energy Technology (RET) प्रारंभ करने के साथ-साथ स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अध्यादेश क्रमांक-170' में आवश्यक संशोधन करते हुए संशोधित अध्यादेश-170 की अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 3417 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2024
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 27 / 05 / 2024

1. समस्त संकायाध्यक्षों को
2. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण
3. उ.कु.स. परीक्षा / सामान्य प्रशासन / स.कु.स. गोपनीय
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)